International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 30-01-2026, Accepted: 01-03-2026, Published: 16-03-2026
Volume 12, Issue 1, 2026, Page No. 233-235

हमारे सपनों का उत्तराखण्ड एक राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण

दीपक नाथ[1], डॉ. हेमा[2]

[1] शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे, अल्मोड़ा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, भारत

[2] विभागाध्यक्ष एवं असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

उत्तराखण्ड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, 9 नवम्बर 2000 को एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह शोध–पत्र उत्तराखण्ड की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए एक आदर्श उत्तराखण्ड की संकल्पना प्रस्तुत करता है। राज्य गठन के दो दशकों से अधिक समय के पश्चात भी पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, महिला असुरक्षा तथा औद्योगिक पिछड़ापन जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध राज्य की आधिकारिक रिपोर्टों, द्वितीयक स्रोतों एवं विद्यमान साहित्य के आधार पर यह विश्लेषण करता है कि किस प्रकार नीतिगत सुधारों, सामाजिक जागरूकता और सुशासन के माध्यम से उत्तराखण्ड को एक समृद्ध, न्यायपूर्ण एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाया जा सकता है।

मूल शब्दः उत्तराखण्ड, पलायन, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, सुशासन, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है।

हिमालय की पावन गोद में बसा उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत संगम है। यहाँ पवित्र गंगा, यमुना जैसी नदियों का उद्गम होता है और केदारनाथ, बदरीनाथ जैसे तीर्थस्थल इसकी आस्था को जीवन्त रखते हैं। उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से घिरा यह राज्य भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तथा यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और विविधता में एकता के लिए जाना जाता है।

राज्य गठन के पश्चात दो दशकों में उत्तराखण्ड ने कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु पलायन की विकराल समस्या ने राज्य की नींव को झकझोर दिया है। रोजगार के अभाव में 70 प्रतिशत युवा राज्य छोड़ने को विवश हो रहे हैं, गाँव वीरान हो रहे हैं और कृषि–भूमि बंजर पड़ती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ–साथ जातिवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ राज्य के समग्र विकास में बाधक बनी हुई हैं।

प्रस्तुत शोध–पत्र इन्हीं समस्याओं को केन्द्र में रखकर शहमारे सपनों के उत्तराखण्डश की एक विस्तृत परिकल्पना प्रस्तुत करता है। यह शोध न केवल समस्याओं की पड़ताल करता है, बल्कि उनके व्यावहारिक समाधान और नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत करता है। उद्देश्य यह है कि उत्तराखण्ड एक आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण और समृद्ध राज्य बने जहाँ हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध हों।

साहित्य समीक्षा

उत्तराखण्ड की सामाजिक–आर्थिक समस्याओं पर विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया है। भट्ट (2015) ने अपने महत्त्वपूर्ण अध्ययन में हिमालयी अर्थव्यवस्था की विशिष्टताओं और चुनौतियों को रेखांकित किया है।

उनके अनुसार मध्य हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न होने के बावजूद आर्थिक विकास में पिछड़ा रहा है। इसका मुख्य कारण तकनीकी कौशल का अभाव, उचित नीतियों की कमी और पर्वतीय भू–आकृति की चुनौतियाँ हैं। पर्वतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को समझे बिना लागू की गई नीतियाँ इस क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं रही हैं (भट्ट, 2015)।

रावत एवं जोशी (2020) ने उत्तराखण्ड में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनके अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अभी भी अत्यन्त चिन्तनीय है।

महिलाएँ घरेलू कार्यों के साथ–साथ कृषि में भी अग्रणी भूमिका निभाती हैं, किन्तु उन्हें आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से प्रायः वंचित रखा जाता है (रावत एवं जोशी, 2020)।

शर्मा (2018) ने पर्वतीय राज्यों के औद्योगिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया है।

उनके अनुसार उत्तराखण्ड में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं, परन्तु नीति–निर्माण में पर्वतीय भूगोल की अनदेखी से ये अवसर अनुपयोगी बने हुए हैं (शर्मा, 2018)।

सिंह (2019) ने उत्तराखण्ड में जातिवाद और क्षेत्रीय राजनीति के अन्तर्सम्बन्ध का अध्ययन किया है।

उनका तर्क है कि जातीय विभाजन और क्षेत्रवाद ने उत्तराखण्ड के विकास की गति को मन्द किया है। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं में जातीय समीकरण राजनीतिक परिपक्वता के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं (सिंह, 2019)।

राज्य सरकार के पलायन आयोग (2019) की रिपोर्ट उत्तराखण्ड के पलायन संकट का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। इसमें 13 जिलों की 7950 ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण के आधार पर पलायन के कारणों और परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट (2022) उत्तराखण्ड में बढ़ती अपराध–प्रवृत्ति को उजागर करती है, जिसमें बेरोजगारी और शिक्षा के अभाव को प्रमुख कारण बताया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण

1. आर्थिक असमानता और पलायन का संकट

उत्तराखण्ड में आर्थिक असमानता की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। राज्य पलायन आयोग की रिपोर्ट (2019) के अनुसार राज्य के 3,946 गाँवों से लगभग 1,18,981 लोग स्थायी रूप से पलायन

कर चुके हैं तथा 6,338 गाँवों के 3,83,726 लोग अस्थायी पलायन कर चुके हैं।

पलायन के प्रमुख कारणों में 50 प्रतिशत लोग रोजगार की तलाश में, 15 प्रतिशत शिक्षा के लिए और 8 प्रतिशत चिकित्सा सुविधाओं के लिए गाँव छोड़ने को बाध्य हुए हैं। पिछले दस वर्षों में प्रतिदिन औसतन 33 लोग गाँवों से जा रहे हैं। पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में सर्वाधिक पलायन हुआ है। राज्य के 734 गाँव पूरी तरह खाली हो चुके हैं।

मध्य हिमालयी (कुमाऊँ–गढ़वाल) क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी आर्थिक रूप से विपन्न रहा है। रोजगार के साधनों का अभाव, स्थानीय कृषि का अनुत्पादक स्वरूप, दुर्गम भू–आकृति और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण यह क्षेत्र 'मनी–ऑर्डर अर्थव्यवस्था' के दुष्चक्र में फँसा रहा है।

2. बेरोजगारी और मानव–पूँजी की क्षति

उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 5,31,174 पुरुष और 3,38,588 महिला बेरोजगार पंजीकृत हैं, जिनमें 1,11,521 स्नातक हैं।

रोजगार की तलाश में पलायन करने वालों में 42 प्रतिशत 26 से 35 वर्ष आयुवर्ग के हैं और 25 वर्ष से कम आयु के 28 प्रतिशत युवा राज्य छोड़ चुके हैं। अर्थात् कुल 70 प्रतिशत युवा उत्तराखण्ड से पलायन कर चुके हैं। यह तथ्य राज्य की मानव–पूँजी की भारी क्षति को उजागर करता है। बेरोजगार लोगों में असन्तोष का स्तर बहुत अधिक है, जिसके कारण अपराध और सामाजिक अशान्ति में वृद्धि हो रही है।

3. महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक भेदभाव

उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति बहुआयामी चुनौतियों से घिरी है। स्त्री भ्रूण हत्या से लेकर घरेलू हिंसा और आर्थिक परनिर्भरता तक महिलाओं के विकास की राह में अनेक बाधाएँ हैं (रावत एवं जोशी, 2020)।

महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के कायाकल्प और पशुपालन व मत्स्य पालन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पहल उल्लेखनीय है। उनका मानना है कि पर्वतीय जनपदों से पलायन को महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर रोका जा सकता है। आज अनेक महिलाएँ अपने घरों से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं, फिर भी समाज की मानसिकता में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

4. अपराध दर और सामाजिक सुरक्षा

बेरोजगारी और शिक्षा के अभाव के कारण उत्तराखण्ड में अपराध दर में वृद्धि हो रही है। बलात्कार, डकैती, दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं (NCRB, 2022)।

कई मामलों में न्यायिक सुनवाई समय पर नहीं होती, जिससे पीड़ितों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कमज़ोर होता है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि के बिना अपराध की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

5. औद्योगिक विकास और कृषि–अर्थव्यवस्था

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के बावजूद वाणिज्यिक उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। बाजार की उपलब्धता और तकनीकी कौशल की कमी औद्योगिक विकास में बाधक रही है (शर्मा, 2018)।

उत्तराखण्ड में मशरूम कल्चर, बागवानी, पर्यटन, जैविक खेती और मधु उत्पादन जैसे स्वरोजगार के अनेक अवसर विद्यमान हैं। उत्तराखण्ड की दिव्या रावत 'मशरूम गर्ल' के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। चौबटिया (रानीखेत) जैसे क्षेत्र सेव उत्पादन के लिए मशहूर हैं, इसी तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, अतः कृषि के उन्नयन से राज्य का समग्र विकास सम्भव है।

6. जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार

जातिवाद उत्तराखण्ड के सामाजिक विकास की गति को अवरुद्ध करने वाली एक प्रमुख समस्या है। राज्य में जातीय विभाजन और क्षेत्रवाद ने सामाजिक एकता को कमज़ोर किया है (सिंह, 2019)।

भ्रष्टाचार एक अन्य गम्भीर समस्या है जो जन–सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न घोटालों की जाँच हेतु विशेष जाँच दलों (SIT) का गठन किया गया है।

गढ़वाली फिल्म 'राजाज' (2015) ने राज्य गठन के 15 वर्षों की समीक्षा करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। इस बोझ को कम किए बिना उत्तराखण्ड आगे नहीं बढ़ सकता।

7. आपदा प्रबन्धन

उत्तराखण्ड प्रतिवर्ष भूस्खलन, बाढ़ और भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त रहता है। ऐसी दशा मे SDRF (State Disaster Response Force) जवानों को विशेष प्रशिक्षण और आपदा राहत कार्यों में तेजी लाना अनिवार्य है।

पर्यावरणीय असन्तुलन और अनियन्त्रित निर्माण कार्य आपदाओं की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। पूर्व–चेतावनी प्रणाली, भू–उपयोग नियोजन और जन–जागरूकता अभियान से आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।

विवेचना

उपर्युक्त आँकड़ों और विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड एक ऐसे संक्रमण काल से गुज़र रहा है जहाँ संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद नीतिगत विफलताओं और सामाजिक कुरीतियों ने राज्य के विकास को अवरुद्ध किया है।

सर्वप्रथम, पलायन की समस्या को एक नीतिगत आपातकाल के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। जब किसी राज्य के 70 प्रतिशत युवा रोजगार के लिए पलायन करते हैं, तो यह केवल आर्थिक संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षति भी है। गाँव वीरान होते हैं, कृषि योग्य भूमि बंजर पड़ती है और पुश्तैनी ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत का ह्रास होता है (पलायन आयोग, 2019)।

दूसरे, महिला सशक्तिकरण को केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। महिलाओं को स्वरोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी देना आवश्यक है। पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि पलायन को रोकने में भी सहायता मिलेगी।

तीसरे, औद्योगिक विकास के लिए पर्वतीय भूगोल के अनुकूल नीतियाँ बनानी होंगी। मशरूम उत्पादन, जैविक कृषि, पर्यटन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन सम्भव होगा और युवाओं को राज्य में ही अवसर मिलेंगे।

चौथे, भ्रष्टाचार और जातिवाद उत्तराखण्ड की सामाजिक पूँजी को नष्ट कर रहे हैं। सुशासन और पारदर्शी प्रशासन के बिना कोई भी विकास योजना सफल नहीं हो सकती। डिजिटल तकनीक का उपयोग कर सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाना और नागरिकों को जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना अत्यावश्यक है।

पाँचवें, आपदा प्रबन्धन को प्राथमिकता देना राज्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। प्रतिवर्ष बाढ़ और भूस्खलन से होने वाली

जन–धन की क्षति को कम करने के लिए पूर्व–चेतावनी प्रणाली, SDRF प्रशिक्षण और भू–उपयोग नियोजन पर ध्यान देना होगा। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में अनेक लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। उस बलिदान की पूर्ति तभी होगी जब उत्तराखण्ड सही मायनों में एक न्यायपूर्ण और समृद्ध राज्य बनेगा। राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना सबसे महत्त्वपूर्ण कदम होगा। जनसंख्या में वृद्धि, कच्चे माल के बहिर्गमन, तकनीकी कौशल की कमी और औद्योगीकरण के अभाव से पर्वतीय अर्थव्यवस्था में वांछित सुधार नहीं हो पाया है।

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड हमारी जन्मभूमि है, हमारी पहचान है और हमारे स्वप्नों का आधार है। हम एक ऐसे उत्तराखण्ड का स्वप्न देखते हैं जो –

1. आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, जहाँ रोजगार के साधन राज्य के भीतर ही उपलब्ध हों और पलायन पूर्णतः रुके;
2. सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण हो, जहाँ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो;
3. राजनीतिक दृष्टि से भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहाँ जनप्रतिनिधि जनसेवा को सर्वोपरि मानें;
4. महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों और उन्हें निर्णय–निर्माण में सहभागिता मिले;
5. हरे–भरे गाँव हों, खेत लहलहाएँ और पुश्तैनी ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे;
6. आपदाओं से सुरक्षित हो और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

हमारे सपनों का उत्तराखण्ड तभी साकार होगा जब राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, उसे उन्नत तकनीक और बाजार तक पहुँच मिलेगी; जब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड आत्मनिर्भर होगा; और जब देश की नींव – गाँव – एक बार फिर हरे–भरे और जीवन्त होंगे। राज्य सरकार, शिक्षाविद, नागरिक समाज और युवाओं के संयुक्त प्रयास से ही यह स्वप्न वास्तविकता में बदल सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Bhatt DD. Himalayan Economy: Problems and Prospects. New Delhi: Concept Publishing Company, 2015, 45-67.
2. National Crime Records Bureau NCRB. Crime in India Report 2022. Ministry of Home Affairs Government of India, 2022.
3. Rawat S, Joshi P. Women Empowerment in Uttarakhand: Issues and Challenges. Journal of Himalayan Studies,2020:8:112-128.
4. Sharma RC. Industrial Development in Hill States of India. Winsar Publishing,2018:23-41.
5. Singh A. Caste and Regional Politics in Uttarakhand. Economic and Political Weekly,2019:54:34-40.
6. State Disaster Response Force SDRF. State Disaster Response Force Annual Report 2021-22. Government of Uttarakhand,2022.
7. Tiwari PC, Joshi B. Changing Pattern of Resource Utilisation and Environmental Degradation in Himalayan Region. International Journal of Environment and Sustainable Development,2012:11:161-178.
8. Pathak S. Uttarakhand: A State on the Move. Nainital: Pahar Prakashan, 2011.
9. उत्तराखण्ड पलायन आयोग (2019). पलायन सर्वेक्षण रिपोर्ट: 13 जिले, 7950 ग्राम पंचायतें। देहरादून: उत्तराखण्ड सरकार।
10. उत्तराखण्ड रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय (2022). रोजगार पंजीयन सांख्यिकी। देहरादून: उत्तराखण्ड सरकार।
11. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (2022). राज्य स्थापना दिवस प्रेस वार्ता, 9 नवम्बर 2022। देहरादून।
12. Government of India (2000). Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000. New Delhi: Government of India.